# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 296/2016

भगवान सहाय वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज एवं बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सी.पी.सी

1. श्री रविशंकर अग्रवाल वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री नरेश कुमार आत्रेय वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 16-9-22

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0 न0 2174 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही लगाली 5.09 पैसे वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा में स्थित है। जोकि साबिक खसरा नम्बर 1519 मिन से बने है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु मुस्तरफा खानदान की पैतृक संपति रही है। उक्त आराजी पर सभी का सम्मिलित में कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पक्षकारान के पिता व दादा प्रभूदयाल के जीवनकाल में उसके स्वयं की अर्जित संपति से खरीद की गई हिन्दु मुस्तरफा खानदान की अविभाजित संपति है जिसपर सभी पक्षकारान का सम्मिलितरूप से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी बाबूलाल उक्त मृतक प्रभूदयाल के जायन्दा पुत्र है जिसके अतिरिक्त स्व0 प्रभूदयाल के अन्य पुत्र विश्रुदत्त व मदनलाल का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व मदनलाल मृतक प्रभूदयाल के जीवनकाल से समस्त राजकाज देखते थे उक्त बाबूलाल ही मृतक प्रभूदयाल उर्फ प्रभाती का कर्ताखानदान था। वादी संख्या 1 कम पढालिखा था इसलिए वादीगण के पिता प्रभूदयाल ने उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा दिया क्योंकि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 उस वक्त बेरोजगार था। आराजी मुतनाजा कारखाना करवाने के लिए ली गई थी प्रतिवादी संख्या 1 ही राजकार्य व भागदौड किया करता था उक्त आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रभूदयाल के द्वारा स्वयं की अर्जित संपत्ति से खरीद की गई संपत्ति है जिसकी पुष्टि 03.10.1993 को मिति आसोज बुद्धि सम्वत 2050 वार रविवार बकल्म मदन मास्टर लखेर व रूबरू मौतविरान शिशपाल मास्टर गुलाबबाडी व साक्षी प्रतिवादी संख्या 1 के व मृतक मदनलाल व मृतक विष्णुदत्त शर्मा , वादीगण के हस्ताक्षर है जिसमें धोली वाली भूमि पर सातों भाइयों का हिस्सा माना है। उक्त बही की लिखावट में वादीगण व प्रतिवादी के मध्य अन्य संपत्तियां का भी बंटवारा व लेनदेन का तथ्य अंकित है। उक्त लिखावट से उक्त आराजी मुतनाजा पर मृतक प्रभूदयाल के सातों लडाकों का बराबर–बराबर हिस्सा कानूनन बनता है। उक्त लिखावट के आधार पर वादीगण को 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी में इस प्रकार है कि प्रश्नगत हाल आराजी ख0न0 2174 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम धवली तहसील शाहपुरा बाबत दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज एवं बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10.11.2016 को पेश किया है प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण, मंजू देवी ,कृष्णा देवी पुत्री विष्णुदत्त के द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रश्नागत हाल आराजी खसरा नम्बर 2174 सहित अन्य संपत्तियों बाबत न्यायालय एडीजे शाहपुरा के समक्ष वाद उनवानी भगवान सहाय वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 बाबत दावा बंटवारा अचल संपत्तियों मकानात बाडा व घोषणा हिस्सेदारी व निरस्त किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 02.04.1979 व

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता का दिनांक 01.06.2018 को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में वादीगण के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 2174 जिसके साबिक खसरा नम्बर 1519 रहे है जो विक्रय पत्र दिनांक 02.04.1979 प्रतिवादी बाबूलाल के द्वारा खरीद की गई है को निरस्त करवाने एवं प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा भाग विक्रय पत्र के सहस्वामी हिस्से घोषित किये जाने एवं घोषणा का 6/7 हिस्से की हद तक संधारित रिकार्ड में असल विक्रय पत्र पर अंकन जरिये नजरात करवाये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार जब वादीगण के द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 2174 के बाबत सक्षम न्यायालय एडीजे शाहपुरा के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 02.04.1979 को निरस्त करवाने एवं 1/7, 1/7 की घोषणा करवाने व उसका अमल राजस्व रिकार्ड व विक्रय पत्र में करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत प्रस्तुत कर दिया गया है जो लंबित है ऐसी सूरत में प्रस्तुत वादपत्र कानूनी रूप से चलने लायक नही है बल्कि सव्यय खारिज, किये जाने योग्य है वादीगण के द्वारा प्रश्नागत भूमि हिन्दु मुस्तरफा खानदान की अविभाजित संपत्ति होना तथाकथित लिखा पढी दिनांक 03.10.1993 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित खातेदारी दिये जाने वाले प्रावधानों की पूर्ति नही करने से व उनके अन्तर्गत नही आने से भी वादीगण का वाद पत्र कानूनन चलने लायक नही है न ही अदालत हाजा के श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी /वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2174 रकबा 0.13 है0 भूमि हिन्दु मुस्तरफा खानदान की अविभाजित संपत्ति है उक्त आराजी में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालयों को है। प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य ली जानी है। प्रकरण में नियमित सुनवाई होकर ही न्याय निर्णय किया जाना चाहिए। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी की परिधि में नहीं आते व प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र उभयपक्षो की बहस सुनी गयी वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल एडीजे कोर्ट शाहपुरा में विचाराधीन प्रकरण की नकल पेश की है वादीगण द्वारा विवादित आराजी संबंध में लिखापढी दिनांक 03.10.1993 के आधार पर खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया है जबकि वादीगण द्वारा न्यायालय एडीजे कोर्ट शाहपुरा द्वारा उनवानी वाद भगवान सहाय बनाम बाबूलाल वगै0 में अपने अनुतोषों के संबंध में वादी द्वारा वाद दायर किया हुआ है। वादीगण द्वारा 3.10.1993 की लिखापढी के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित खातेदारी दिये जाने वाले प्रावधानों की पूर्ति नही करता है तथा प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने व सिविल प्रकृति का होने के कारण वादपत्र. अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। हर्जा खर्चा पक्षकार स्वयं अपना–अपना वहन करे।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.